

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक में स्वीकृत धनराशि का विवरण
(धनराशि लाख रुपये में)

माह 31 मार्च 2025

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	केन्द्र पोषित योजनाएं												
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (केन्द्रांश)	9923.620	4725.000	4275.000	18923.620	9923.620	2388.440	399.110	12711.170	9923.620	2388.440	399.110	12711.170
	—, — राज्यांश	1102.62444	525.00000	475.00000	2102.62444	1102.62444	265.38221	44.34555	1412.35220	1102.624	265.382	44.346	1412.352
	योग NRLM	11026.244	5250.000	4750.000	21026.244	11026.24444	2653.82221	443.45555	14123.52220	11026.244	2653.822	443.456	14123.522
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजान्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (केन्द्रांश)	111.240	56.700	51.300	219.240	111.240	26.770	4.490	142.50000	111.240	26.770	4.490	142.500
	—, — राज्यांश	12.360	6.300	5.700	24.360	12.36000	2.97444	0.49889	15.83333	12.360	2.974	0.499	15.833
	योग MKSP	123.600	63.000	57.000	243.600	123.600	29.744	4.989	158.33333	123.600	29.744	4.989	158.333
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजान्तर्गत स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम	348.560			348.560	348.560	0.000	0.000	348.560	348.560	0.000	0.000	348.560
	—, — राज्यांश	38.72889			38.72889	38.72889			38.72889	38.72889			38.729
	योग SVEP	387.289	0.000	0.000	387.289	387.289	0.000	0.000	387.28889	387.28889	0.000	0.000	387.289
4	स्वयं सहायता समूह महिला एवं परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बि बनाने हेतु प्रशिक्षण	200.000			200.000	200.000			200.00000	200.00000			200.000
	—, — राज्यांश	0.000			0.000	0.000			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	योग	200.000	0.000	0.000	200.000				200.000				
	महायोग	11737.133	5313.000	4807.000	21857.133	11537.133	2683.567	448.444	14869.144	11537.133	2683.567	448.444	14669.144
5	पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (केन्द्रांश)	500.000	2116.830	340.250	2957.080				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—, — राज्यांश	146.990	235.200	37.810	420.000				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग DDUGKY	646.990	2352.030	378.060	3377.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	प्रधानमंत्री आवास योजना (केन्द्रांश)	12958.400	18287.290	2813.240	34058.930				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—, — राज्यांश	1443.26667	2031.920	312.580	3787.767				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग PMAY-G	14401.667	20319.210	3125.820	37846.697	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	एन.आर.ई.जी.ए. (केन्द्रांश)	20000.000	5000.000	1616.480	26616.480	12809.269	3120.2066	492.6642	16422.14000	12809.269	3120.207	492.664	16422.140
	एन.आर.ई.जी.ए. (राज्यांश)	5500.000	3000.000	538.830	9038.830	4269.756	1040.06887	164.2214	5474.04667	4269.756	1040.069	164.221	5474.047
	नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद (100 प्रति0के0पो0)	2901.1650	0.000	0.000	2901.1650	2752.444			2752.444	2752.444	0.000	0.000	2752.444
	नरेगा योजनान्तर्गत सी0एफ0पी0 (100 प्रति0के0पो0)	98.8450	0.000	0.000	98.8450	98.83500			98.8350	98.8350	0.000	0.000	98.835
	नरेगा योजनान्तर्गत सू0एन0एन0ए0टी0आई0 (100 प्रति0के0पो0)	41.000	0.000	0.000	41.000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग NREGA	28541.010	8000.000	2155.310	38696.320	19930.305	4160.275	656.886	24747.466	19930.305	4160.275	656.886	24747.466

क. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों / विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
8	उत्तराखण्ड समाजिक अंकक्षण, जवाबदेही एवं परिदर्शिता अभिकरण (नई मांग से स्वीकृत)	500.000			500.000	500.000	0.000	0.000	500.000	500.000			500.000
9	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के अन्तर्गत चयनित कलस्टर्स में विकास (केन्द्रांश)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—, — (राज्यांश)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग RURBAN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयंत्रों की स्थापना(100%के.स.)	0.010	0.000	0.010	0.020	65.546			65.546	65.546	0.000	0.000	65.546
11	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्रोग्राम फण्ड की धनराशि (90 प्रति.के.पो.) (केन्द्रांश)	87689.120			87689.120	81550.000			81550.000	81550.000	0.000	0.000	81550.000
	—, — राज्यांश	12310.880			12310.880	12310.880			12310.880	12310.880	0.000	0.000	12310.880
	योग PMGSY	100000.000	0.000	0.000	100000.000	93860.880	0.000	0.000	93860.880	93860.880	0.000	0.000	93860.880
12	यू0आर0आर0डी0ए0 के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं हेतु	0.010	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (केन्द्रांश)	0.010	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—, — राज्यांश	0.010	0.000	0.000	0.010				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग BADP	0.020	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना (केन्द्रांश) (80 प्रतिशत)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—, — राज्यांश (20 प्रतिशत)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग उ.ग्रा.वि.संस्थान(आ0/अना0 भ0)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थान (केन्द्रांश)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—, — राज्यांश	20.000	0.000	0.000	20.000	3.375			3.375	3.375	0.000	0.000	3.375
	योग UIRD	20.000	0.000	0.000	20.000	3.375	0.000	0.000	3.375	3.375	0.000	0.000	3.375
16	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) केन्द्रांश	11606.330	0.000	0.000	11606.330	3370.980			3370.980	3370.980	0.000	0.000	3370.980
	—, — राज्यांश (नोट- योजनान्तर्गत गत वर्ष राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि केन्द्रांश रू० 2606.33 लाख एवं राज्यांश रू० 379.7525 लाख कुल रू० 2986.0825 ला० का समायोजन इस वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से किया गया जिसे केन्द्रांश में राज्यांश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष दर्शाया गया है.	1379.760	0.000	0.000	1379.760	464.71361			464.71361	464.714	0.000	0.000	464.714
	योग वाइब्रेंट विलेज	12986.090	0.000	0.000	12986.090	3835.694	0.000	0.000	3835.69361	3835.694	0.000	0.000	3835.694

क. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
17	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) पीएमजीएसवाई केन्द्रांश	2606.330	0.000	0.000	2606.330	2606.330	0.000	0.000	2606.330	2606.330	0.000	0.000	2606.330
	—, — राज्यांश	379.760	0.000	0.000	379.760	379.7525	0.000	0.000	379.7525	379.753	0.000	0.000	379.753
	योग वाइब्रेंट विलेज	2986.090	0.000	0.000	2986.090	2986.083	0.000	0.000	2986.083	2986.083	0.000	0.000	2986.083
18	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)आवास	0.000	0.000	3790.820	3790.820	0.000	0.000	2027.000	2027.000	0.000	0.000	2027.000	2027.000
	—, — राज्यांश	0.000	0.000	421.220	421.220	0.000	0.000	225.22222	225.22222	0.000	0.000	225.222	225.222
	योग पीएम-जनमन	0.000	0.000	4212.040	4212.040	0.000	0.000	2252.222	2252.22222	0.000	0.000	2252.222	2252.222
19	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) सड़क	0.000	0.000	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000
	—, — राज्यांश	0.000	0.000	0.010	0.010	0.000			0.000				0.000
	योग पीएम-जनमन	0.000	0.000	0.020	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग केन्द्र पोषित योजनाएं	171819.020	35984.240	14678.260	222481.520	132719.015	6843.842	3357.552	143120.409	132719.015	6843.842	3357.552	142920.409
	राज्य पोषित योजनाएं												
1	दीनदयाल उत्तराखण्ड आवासीय योजना	0.010	0.000	0.010	0.020				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.010	0.000	0.000	0.010	0.010			0.010	0.010	0.000	0.000	0.010
3	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत सब्सिडी	160.000	0.000	0.000	160.000	160.00			160.000	160.000	0.000	0.000	160.000
4	राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण / एन.पी.बी. का भुगतान	335.300	0.010	0.000	335.310				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान	4664.710	0.010	0.000	4664.720	4664.700			4664.700	4664.700	0.000	0.000	4664.700
7	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत	2500.000	1349.000	284.000	4133.000	2500.000	1349.000	284.000	4133.000	2500.000	1349.000	284.000	4133.000
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपात कालीन निधि	1000.000	0.000	0.000	1000.000	999.440			999.440	999.440	0.000	0.000	999.440
9	पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत सेटेज चार्ज,यएस.क्यू.सी.सी. तथा पी.एम.सी. का भुगतान	2000.000	0.000	0.000	2000.000	2000.000			2000.000	2000.000	0.000	0.000	2000.000
10	उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण	200.000	0.000	0.000	200.000	200.000			200.000	200.000	0.000	0.000	200.000
11	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	500.000	0.000	0.000	500.000	464.042			464.042	464.042	0.000	0.000	464.042
12	विधायक निधि	27459.5495	6745.000	1065.000	35269.5495	27300.000	6650.000	1050.000	35000.000	27300.000	6650.000	1050.000	35000.000
13	मेरा गांव मेरी सड़क	1030.4505	1000.000	186.420	2216.8705	1030.4505	484.7664	186.4200	1701.6369	1030.451	484.766	186.420	1701.637
14	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	20.000	0.000	0.000	20.000	20.000	0.000	0.000	20.000	20.000	0.000	0.000	20.000
15	मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना	500.000	0.000	0.000	500.000	500.000			500.000	500.000	0.000	0.000	500.000
16	आयुक्त,ग्राम्य विकास पौड़ी के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	0.010	0.000	0.000	0.010				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

क. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
17	ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर(आर.बी.आई.)	1000.000	0.000	0.000	1000.000				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एम.बी.ए.डी.पी)	2000.000	0.000	0.000	2000.000	2000.000			2000.000	2000.000	0.000	0.000	2000.000
19	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	1000.000	0.000	0.000	1000.000	1000.000			1000.000	1000.000	0.000	0.000	1000.000
20	ग्राम विकास महायोजना (नई योजना)	0.010	0.000	0.000	0.010				0.000				0.000
21	एसएसजी उत्पादों का विपणन	400.000	0.000	0.000	400.000				0.000	0.000			0.000
22	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत टापअप (राज्य सेक्टर)	2151.300	791.400	121.800	3064.500				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23	हाउस आफ हिमालयाज (नई मांग के माध्यम से)	1000.000	0.000	0.000	1000.000	1000.000	0.000	0.000	1000.000	1000.000	0.000	0.000	1000.000
24	विकास खण्ड कपकोट,बागेश्वर में बहुउद्ध्य भवन निर्माण की अवशेष धन0 की प्रथम किश्त मिसिंग लिंक से स्वीकृत					95.000			95.000	95.000			95.000
25	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के निर्माणाधीन औडियोटोरियम की द्वितीय किश्त मिसिंग लिंक से स्वीकृत					115.350			115.350	115.350			115.350
	योग राज्य पोषित योजनाएं	47921.350	9885.420	1657.230	59464.000	44048.993	8483.766	1520.420	54053.179	44048.993	8483.766	1520.420	54053.179
	वाहय सहायतित योजनाएं												
1	आईफ़ेड वाहय सहायतित योजना (ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि योजना)	15000.000	0.000	0.000	15000.000	15000.000			15000.000	15000.000	0.000	0.000	15000.000
	योग वाहय सहायतित योजनाएं	15000.000	0.000	0.000	15000.000	15000.000	0.000	0.000	15000.000	15000.000	0.000	0.000	15000.000
	सम्पूर्ण योग आयोजनागत	234740.370	45869.660	16335.490	296945.520	191768.008	15327.609	4877.972	212173.588	191768.008	15327.609	4877.972	211973.588
	अधिष्ठान मद												
1	ग्राम्य विकास का मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान	599.520			599.520	599.500			599.500	599.500	0.000	0.000	599.500
2	कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)	1310.080			1310.080	1310.080			1310.080	1310.080	0.000	0.000	1310.080
3	ग्राम्य विकास संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों का वेतन	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000	0.000	0.000	50.000
	UIRD पारिश्रमिक व्यय	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000
	ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम	70.000			70.000	63.73250			63.73250	63.73250	0.000	0.000	63.733
	UIRD अनुरक्षण	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000
4	जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान	20353.640			20353.640	20347.630			20347.630	20347.630	0.000	0.000	20347.630
5	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना का अधिष्ठान	8566.000			8566.000	8566.000			8566.000	8566.000	0.000	0.000	8566.000
6	गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	1326.420			1326.420	1326.400			1326.400	1326.400	0.000	0.000	1326.400
7	ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	175.040			175.040	175.040			175.040	175.040	0.000	0.000	175.040
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की सीपना	49.780			49.780	49.780			49.780	49.780	0.000	0.000	49.780
9	डीआरडीए प्रकोष्ठ वेतन भत्ते आदि	72.440			72.440	72.440			72.440	72.440	0.000	0.000	72.440

क. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
10	राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रकोष्ठ	42.150			42.150	42.150			42.150	42.150	0.000	0.000	42.150
	योग अधिष्ठान मद	32715.070	0.000	0.000	32715.070	32702.753	0.000	0.000	32702.753	32702.753	0.000	0.000	32702.753
	सम्पूर्ण योग	267455.440	45869.660	16335.490	329660.590	224470.760	15327.609	4877.972	244876.34	224470.760	15327.609	4877.972	244676.341

नोट:– शासन के ई–फाईलिंग पत्र संख्या 1/214254/2024 दिनांक 29 मई 2024 से वाईब्रेट विलेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य आकस्मिकता निधि से आवंटित धनाशि कुल रू० 2986.0825 लाख का समायोजन इस वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष किया गया जिसे शासन से अवमुक्त धनराशि एवं व्यय धनराशि में अंकित किया गया है.

नोट:– वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक में वाईब्रेट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्रांश हेतु रू० 9000.00 लाख तथा राज्यांश हेतु रू० 1000.00, कुल रू० 10000.00 लाख, प०एम०जनमन आवास योजना के अन्तर्गत अनु०ज०जाति में केन्द्रांश हेतु रू० 3790.80 लाख तथा राज्यांश हेतु रू० 421.20लाख, कुल रू० 4212.00 लाख, पी०एम०जनमन सड़क हेतु अनु०ज०जाति में नया लेखाशीर्षक केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु टोकन मनी के रूप रू० 0.02 लाख, वाइब्रेट विलेज पीएमजीएसवाई सड़क योजनान्तर्गत नया लेखा शीर्षक खोलकर केन्द्रांश हेतु रू० 2606.33 लाख तथा राज्यांश हेतु रू० 379.76 लाख, कुल रू० 2986.09 लाख, इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजनान्तर्गत रू० 60.00 लाख, हाउस आफ हिमालयाज योजनान्तर्गत अनु०सं० 19 में नया लेखाशीर्षक खोलकर रू० 1000.00 लाख, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र अधिष्ठान के मानक मद 25–उपयोगिता बिलों के भुगतान मद में रू० 10.00 लाख तथा प्रधानमंत्री ग्रामण सड़क विकास प्राधिकरण अधिष्ठान के मानक मद 23–किराया उपशुल्क में रू० 25.00 लाख, इस प्रकार कुल रू० 18293.11 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है.

नोट:– शासनादेश सं० 1/247790 दिनांक 18 अक्टूबर 2024 से महात्मां गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सीएफपी हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू० 49.4175 लाख का पुनर्विनियाम नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद से किया गया. पुनः शासनादेश सं० 1/287368/2025 दिनांक 29 मार्च 2025 से योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि रू० 49.4175 लाख,नरेगा प्रशासनिक मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से किया गया. इस प्रकार वर्ष में कुल रू० 98.835 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया गया जिसे आय–व्ययक में बजट प्राविधान प्रशासनिक मद से घटाकर नरेगा सीएफपी के बजट प्राविधान में जोडा गया है. आय–व्ययक में सीपीएफ योजनान्तर्गत टोकन मनी के रूप में रू० 0.01 लाख प्राविधानित था.

नोट:– शासनादेश सं० 1/249950/2024 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 1673/2021 “ विकास खण्ड कपकोट में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जायेगा” के अवशेष कार्य मिसिंग लिंक फंड से रू० 95.00 लाख अनुदान सं० 07 से अवमुक्त की गयी है जिसे जिलाधिकारी बागेश्वर के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी.

नोट:– भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वायोगैस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लक्ष्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 49.9610 लाख सीधे पीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई जिसे जनपदों को पीएफएमएस के माध्यम से अवमुक्त किया गया. भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रथम किश्त रू० 22.585 लाख सीधे पीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई है.

नोट:– शासन के पत्र संख्या 1/269016/2025 दिनांक 17 जनवरी 2025 से एनआरएलएम के अन्तर्गत स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 19 में रू० 123.56 लाख तथा राज्यांश हेतु रू० 13.72889 लाख, कुल रू० 137.28889 लाख,एनआरएलएम योजना के अनु० सं० 19 के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश से पुनर्विनियोग किया गया जिसे एनआरएलएम योजना के अन्तर्गत अनु०सं० 19 में केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि से घटाते हुए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के केन्द्रांश एवं राज्यांश के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में जोडा गया है.

नोट:– शासन के पत्र संख्या 1/274679/2025 दिनांक 11 फरवरी 2025 से एनआरएलएम के अन्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु अनु० सं० 19 में रू० 61.24 लाख तथा राज्यांश हेतु रू 3.36 लाख, कुल रू० 64.60 लाख,एनआरएलएम योजना के अनु० सं० 19 के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश से पुनर्विनियोग किया गया जिसे एनआरएलएम योजना के अन्तर्गत अनु०सं० 19 में केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि से घटाते हुए महिला किसान सशक्तिकरण योजना के अनु० सं० 19 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में जोडा गया है.

नोट:– शासन के पत्र संख्या 1/272795/2025 दिनांक 04 फरवरी 2025 से आयुक्तालय अधिष्ठान अनु० सं० 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–00–001–03 के अन्तर्गत मानक मद 08–पारिश्रमिक में रू० 3.50 लाख का पुनर्विनियोग मानक मद–04–यात्रा व्यय के अन्तर्गत बचत धनराशि से किया गया है.

नोट:– शासन के पत्र संख्या 1/280738/2025 दिनांक रहित से गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ अधिष्ठान अनु० सं० 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–00–102–32 के अन्तर्गत मानक मद 08–पारिश्रमिक में रू० 4.00 लाख का पुनर्विनियोग मानक मद–51–अनुक्षण के अन्तर्गत बचत धनराशि से किया गया है.

नोट:– शासन के पत्र संख्या 1/282628/2025 दिनांक 12.3.2025 से ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग अधिष्ठान अनु० सं० 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–00–102–34 के अन्तर्गत मानक मद 42–अन्य व्यय में रू० 47.70835 लाख का पुनर्विनियोग मानक मद–04–यात्रा व्यय से रू० 4.00 लख, 07–मानदेय से रू० 1.00 लाख, 08–पारिश्रमिक से रू० 17.50 लाख, 10–प्रशिक्षण से रू० 1.00 लाख, 20–लेखन सामग्री एवं छपाई से रू०1.30 लाख, 21–कार्यालय फर्नीचर से रू० 3.60 लाख, रू 22–कार्यालय व्यय से रू० 1.90 लाख,24–विज्ञापन,बिक्री से रू० 8.00 लाख, 26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर क्रय से रू० 1.70 लाख, 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान मद से रू० 5.40 लाख, 30–आतिथ्य व्यय से रू० 0.50 लाख, 40–मशीन उपकरण सज्जा से रू० 0.50835 लाख तथा 51–अनुरक्षण से रू० 1.00 लाख के अन्तर्गत बचत धनराशि से किया गया है.

नोट:– शासन के पत्र संख्या 1/285454/2025 दिनांक 25.3.2025 से मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत अनु० सं० 19 में रू० 230.4505 लाख का पुनर्विनियोग विधायक निधि के अनुदान सं० 19 के अन्तर्गत बचत धनराशि से की गयी जिसे विधायक निधि के अनुदान सं० 19 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि से घटाकर मेरा गांव मेरी सड़क के अनुदान सं० 19 में प्राविधानित धनराशि में जोडा गया है.

नोट:– शासन के पत्र संख्या 1/286806/2025 दिनांक 27 मार्च 2025 से जनपद/ विकास खण्ड अधिष्ठान के मानक मद 23–किराया उपशुल्क में रू० 2.21557 लाख तथा मानक मद–27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान मद में रू० 5.00 लाख, कुल रू० 7.21557 लाख का पुनर्विनियोग उक्त अधिष्ठान के मानक मद–04–यात्रा भत्ते में सम्भावित बचत धनराशि से की गयी है.

नोट:– शासन के पत्र संख्या 1/287090/2025 दिनांक 28 मार्च 2025 से राश्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की अतिरिक्त/तृतीय किश्त की अवशेष धनराशि अनु० सं० 19 के अन्तर्गत रू० 1108.42 लाख प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अनु०सं० 19 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से तथा एनआरएलएम योजनान्तर्गत अनु० सं० 19 के अन्तर्गत राज्यांश की अवशेष धनराशि रू० 119.71333 लाख,प्रधानमंत्री आवास योजना के अनु० सं० 19 के अन्तर्गत राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि से, इसप्रकार कुल रू० 1228.13333 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त हुई है जिसे एनआरएलएम योजनान्तर्गत अनु० सं० 19 के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि में जोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनु०सं० 19 के अन्तग्रत केन्द्रांश एवं राज्यांश में प्राविधानित धनराशि घटाई गयी है.

क. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों /विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग

नोट:- शासन के पत्र संख्या 1/287375/2025 दिनांक 29 मार्च 2025 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवशेष राज्यांश की धनराशि रू0 23.1088 लाख का पुनर्विनियोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत अनुदान सं0 19 के अन्तर्गत केन्द्रांश हेतु प्राविधानित धनराशि से किया गया जिसे योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि से घटाकर राज्यांश की धनराशि में जोड़ा गया है.

नोट:- शासन के पत्र संख्या 1/287560/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के भूमि अधिग्रहण /एनपीबी का भुगतान के अन्तर्गत अनु0 सं0 19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 4664.70 लाख का पुनर्विनियोग पीएमजीएसवाई आधिक्य के भुगतान मद के अनु0 सं0 19 में किया गया. जिसे पीएमजीएसवाई भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से घटाकर आधिक्य व्यय धनराशि की प्राविधानित धनराशि में जोडा गया है.